संख्या 10 भू0क0/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः26 फरवरी, 2007

विषयः—कोटक हेल्थ केयर प्रा0 लि0 को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रूडकी के ग्राम किशनपुर, जमालपुर,मु0 में कुल 0.206 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या— 788/भूमि व्यवस्था—भू क्रय—06 दिनांक 16—06—2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश कोटक हेल्थ केयर प्रा0 लि0 को ए यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा— 154 (4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील रूडकी के ग्राम किशनपुर, जमालपुर,मु0 में कुल 0.206 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जा सकती हैः—

1— क्रेता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2— क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण

............2/

उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– प्रश्नगत इकाई द्वारा क्रय की जानी वाली भूमि का उपयोग इंजेक्टेबल ग्रुप की दवाई बनाने की स्थापना हेतु किया जायेगा ।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर निर्धारित नीति/ मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/ मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– प्रस्तावित उद्योग का निर्माण राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)– 2005 के अनुरूप निर्माण होगा।

9– प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना से पूर्व ड्रग कन्ट्रोलर से ड्रग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अग्निशमन आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

12– उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने अथवा किसी कारणों से जिस शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

..................3/–

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

3– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, निदेशक, कोटक हेल्थकेयर प्रा0लि0 ई–10–साउथसाइड, जीटी रोड इन्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद ।

5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)

अनुसचिव।